

झारखंड सरकार,  
जल संसाधन विभाग,

सं0सं0-8 / ज0सं0(नि0)ल0सि0-23 / 03

/राँची, दिनांक-

आदेश

श्री नरेश मोहन प्रसाद वर्मा, तदेन अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, डाल्टनगंज के विरुद्ध घोर अनियमितता, कदाचार एवं अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2428, दिनांक-15.06.2005 के द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री वर्मा के दिनांक-30.04.2007 को सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमवाली के नियम-43 बी में संपरिवर्तित किया जाता है।
3. उक्त आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

उप सचिव (नि0)  
जल संसाधन विभाग,

ज्ञापांक-..... 3367 ..... दिनांक-..... 7-7-15 .....

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर/श्री नरेश मोहन प्रसाद वर्मा, सेवा निवृत्त कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0-3, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (नि0)  
जल संसाधन विभाग,  
66-07-15